खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद ।

पत्रांक-टीपी-/1786 दिनांक 17/10/98

पर्यावरण बचायें

कृपया निर्माण स्थल पर पौधे अवश्य लगायें ।

सेवा में,

श्रीमती. सावित्री देवी
पति:- श्री: चन्द्रदेव महाराज
धनबाद धनबाद

विषय:- मौजा काला कुम्मा नं० 12 के खाता नं. 76 प्लॉट नं. 384(389)

पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक 14.7.97
गृह प्लान केश नं० बीडी-110/97-98

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भूखंड पर गृह निर्माण की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के साथ प्राधिकार अधिनियम की धारा 30 (1) के अंतर्गत प्रबंध निदेशक द्वारा प्रदान की गयी है :-

1. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारंभ करने के एक सप्ताह पूर्व संलग्न प्रपत्र (VII) को भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है ।

2. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी की देख-रेख में करायी जाय ताकि वे समय-समय पर निर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सकें ।

3. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षों के अंदर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अ[illegible]य दें ।

4. गृह निर्माण पूर्ण रूपेण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही कराना है ।

5. ड्रेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शा के अनुरूप करायी जाय ।

6. गृह निर्माण का निरीक्षण प्राधिकार नगर निवेशन विभाग के किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शे के प्रतिकूल पाये गये निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जा सकता है ।

अनुलग्नक: स्वीकृत नक्शे की एक प्रति ।

विश्वासभाजन,

[signature]

कार्यपालक अभियंता
नगर निवेशन विभाग
माडा, धनबाद ।

16.1.[illegible]